विद्यालय - TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR (P20131)

आवेदन क्रमांक : 48443

मान्यता कोड : RJJJN34944

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JHUNJHUNUN , राजस्थान

क्रमांक: 4564

दिनांक 22-10-2024

सचिव

प्रबंध समिति

TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 48443 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR पता VILL - DESUSAR, POST - PRATAPPURA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय PRATAPPURA ब्लॉक JHUNJHUNU आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 272 खसरा न. 445272 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR
स्वीकृत नवीन नाम	MIRA INTERNATIONAL SCHOOL JHUNJHUNU

प्रबन्ध अंतरण के लिए विवरण			
पूर्व सोसाइटी का नाम	BHARTIYA VIDYA MANDIR SAMITI JHUNJHUNU		
पूर्व सोसाइटी पंजीयन संख्या	82/85-86	पूर्व सोसाइटी पंजीयन दिनांक	13/05/1985
नवीन सोसाइटी का नाम	MIRA EDUCATION TRUST VADODARA		
नवीन सोसाइटी पंजीयन संख्या	E-/4684/VADODARA	नवीन सोसाइटी पंजीयन दिनांक	11/10/1993

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
झुंझुनूं (राज.)

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।

2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।

7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।

8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।

9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
झुंझुनूं (राज.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
झुंझुनूं (राज.)

विद्यालय - TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR JHUNJHUNU (P20131)

आवेदन क्रमांक : 21863

मान्यता कोड : RJJJN22018

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/दवितीय)JHUNJHUNUN , राजस्

क्रमांक:- 399

दिनांक 07.09.2017

सचिव

प्रबंध समिति

TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR JHUNJHUNU

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 21863 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR JHUNJHUNU पता VILL - DESUSAR, POST - PRATAPPURA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय PRATAPPURA ब्लॉक JHUNJHUNU को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्घता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनूं

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

विद्यालय - TREE HOUSE HIGH SCHOOL DESUSAR JHUNJHUNU (P20131) आवेदन क्रमांक : 21863

मान्यता कोड : RJJJN22018

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,... संभाग.................................।
5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनूं

Principal
Mira International Schoo
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं

दुरभाष एवंफैक्सनम्बर– 01592 – 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejjn@gmail.com

क्रमांकः– जिशिअ / प्रारं / झुं / मान्यता / 2013 / 973 दिनांकः–21.06.2013

सचिव / अध्यक्ष,
ट्री हाउस हाई स्कूल,
देस्सूसर मठ, झुन्झुनू।

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधिन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांकः 31.03.2013 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै. **ट्री हाउस हाई स्कूल, देस्सूसर मठ, झुन्झुनू** (अग्रेजी माध्यम) को सत्र 2013–14 से लगातार तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक (क्रमौन्नति) के लिए अन्तिम संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्याधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमजोर वर्गो के और अलाभ पद के समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विधालय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक उसके माता पिता या संरक्षक की किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण पत्र न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपबन्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि–
   (1)प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में उनुर्त्तीण नही किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (2)किसी भी बालकों शारीरिक दण्ड या मानसीक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधिन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (5)अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
   (6)अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधिन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भितर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधिन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।
   (8)अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।
8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।

Principal
..lira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं

दूरभाष एवंफैक्सनम्बर– 01592 – 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejjn@gmail.com

10. विधालय अधिनियम की धारा–19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है–
    विधालय परिसर का क्षेत्र
    कुल निर्मित क्षेत्र
    क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
    कक्षा कमरों की संख्या
    प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
    वालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
    पेयजल सुविधा
    मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
    बाधा रहीत पहुंच
    अध्यापक पठ्न सामग्री/किड़ा खेलकुद उकस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बहार विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जायेगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या किड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजिकरण अधिनियम 1958 के अधिन पंजिकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधिन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
15. विधलयों के लेखों के चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहीए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।
16. आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक 86 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानिय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्वन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजिकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावें।
19. संलग्न उपाबंध–।।। के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu

27

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दूरभाष एवंफैक्सनम्बर– 01592 – 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejjn@gmail.com

क्रमांकः–जिशिअ / प्रारं / झुं / मान्यता / 2012 / 162 दिनांकः– 30-7-12

प्रबंधक

श्री हाउस हाई स्कूल मठ के पास

झुन्झुनू

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अध विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांकः–23 फरवरी 2012 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातू पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै, श्री हाउस हाई स्कूल झुन्झुनू (माध्यम–अंग्रेजी) (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक–सत्र 2012 से दिनांक......तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1....से कक्षा ... तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के उपरान्त मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विधालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभ पद समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विधालय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म, जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि–

   (I) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (II) किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (V) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।

   (VI) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।

   (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

   (VIII) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath); Jhunjhunu

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अ. निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है–
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरो की संख्या
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुच
अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही च जायेगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है
15. विद्यालय के लेखाओं के चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया ज चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 49 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थ बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिक के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करने विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. संलग्न उपाबंध–I के अनुसार अन्य कोई शर्त।
20. RTE नियमों की पालना की जावे। व भवन मय मूल आधारभूत सुविधाएं 31 मार्च 2013 तक पूर्ण करनी होगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

Principal
Mira International School
Jhunjhunu

Manager
Mira International School
Desusar (Maath), Jhunjhunu